

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बड़जलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 03/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 मुकेश मितल पुत्र रमेश चंद अग्रवाल निवासी हरिराम अस्पताल के पास, सैनिक बस्ती, नागौर। फर्म-नेमीचंद एण्ड ब्रादर्स ए-8 कृषि उपज मण्डी, नागौर। 2 रमेश चंद अग्रवाल पुत्र स्व. गिरधारीलाल निवासी हरिराम अस्पताल के पास, सैनिक बस्ती, नागौर। फर्म-नेमीचंद एण्ड ब्रादर्स ए-8 कृषि उपज मण्डी, नागौर। 3 नरेश मितल पुत्र रमेश चंद अग्रवाल निवासी P-169 Block B 2 nd Floor South Dumdum North 24 Pargana West Bengal 7000089 4 मंजू देवी पत्नी रमेश चंद अग्रवाल निवासी हरिराम अस्पताल के पास, सैनिक बस्ती, नागौर। फर्म-नेमीचंद एण्ड ब्रादर्स ए-8 कृषि उपज मण्डी, नागौर। 5 फर्म-नेमीचंद एण्ड ब्रादर्स ए-8 कृषि उपज मण्डी, नागौर।

आदेश

दिनांक :11.02.23

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 17-10-2022 को मैसर्स नैमीचन्द एण्ड ब्रदर्स, ए-8 कृषि उपज मण्डी, तहसील व जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ मूंगफली का तेल (बालाजी) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2040 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1215/एक्ट/2022/1076 दिनांक 22.10.22 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ रिफाईंड मूंगफली का तेल (बालाजी) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण मुकेश मितल पुत्र रमेशचन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी हरिराम अस्पताल के पास, सैनिक बस्ती नागौर, रमेशचन्द अग्रवाल पुत्र स्व. गिरधारीलाल अस्पताल के पास, सैनिक बस्ती नागौर, नरेश मितल पुत्र रमेशचंद अग्रवाल निवासी P-169 block b 2nd Floor Shout Dumdum Nort 24 Pargana West Bangal 700089, मंजू देवी पत्नी रमेशचन्द अग्रवाल अस्पताल के पास, सैनिक बस्ती नागौर, तथा मैसर्स नैमीचन्द एण्ड ब्रदर्स, ए-8 कृषि उपज मण्डी, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 24-01-2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 11.02.2023 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी फर्म से तेल का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। भविष्य में तेल बेचते समय ध्यान में रखकर तत्पश्चात बेचेंगे। अप्रार्थीगण ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/1215/एक्ट/2022/1076 दिनांक 22.10.22 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाईंड मूंगफली का तेल (बालाजी) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 मुकेश मितल पुत्र रमेशचन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी हरिराम अस्पताल के पास, सैनिक बस्ती नागौर, अप्रार्थी संख्या 02 रमेशचन्द अग्रवाल पुत्र स्व. गिरधारीलाल अस्पताल के पास, सैनिक बस्ती नागौर, अप्रार्थी संख्या 03 नरेश मितल पुत्र रमेशचंद अग्रवाल निवासी P-169 block b 2nd Floor Shout Dumdum Nort 24 Pargana West Bangal 700089, अप्रार्थी संख्या 04 मंजू देवी पत्नी रमेशचन्द अग्रवाल अस्पताल के पास, सैनिक बस्ती नागौर, तथा अप्रार्थी संख्या 05 मैसर्स नैमीचन्द एण्ड ब्रदर्स, ए-8 कृषि उपज मण्डी, नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 40,000/- अक्षरे चालीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयवधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)